

BEFORE DR. GITA RAWAT, JOINT SECRETARY & FIRST  
APPELLATE AUTHORITY

(Under Section 19 of RTI Act, 2005)

MINISTRY OF LAW & JUSTICE: DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS  
ROOM NO. 408, 'A' WING, SHASTRI BHAWAN, NEW DELHI 110001

\*\*\*\*\*

Appeal No.21(196)/2014-IC

Date: 17.04.2014.

**In the matter of**

Shri Ramta Prasad,  
Near Mohan Cinema,  
Aara, Distt. Bhojpur,  
Bihar-802301

Appellant

Versus

Central Public Information Officer  
Ministry of Law & Justice  
Department of Legal Affairs  
Shastri Bhawan  
NEW DELHI – 110001

Respondent

**Date: 17.04.2014**

**ORDER**

The appellant has filed an appeal on 29.03.2014 received on 3.4.2014 under Section 19 of the RTI Act for not getting the information furnished by the CPIO, the respondent vide letter NO. 21(196)/2014 dated 25.03.2014.

**Brief facts of the case:**

1. The appellant vide his application dated 18.2.2014 received on 27.02.2014 sought information relating to Notary Public.
2. The respondent has collected the information from the concerned sections of this Ministry and sent the reply to the appellant vide letter No. 21(196)/2014-IC dated 25.03.2014.
3. Being aggrieved with the information of the respondent the appellant has filed an appeal received on 3.4.2014.

4. I undersigned have been appointed as Appellate Authority in the matter on. After perusal of the facts of the case it appears that no hearing is required in this matter.

Observation

5. On perusal of the record it appears that the information furnished by the respondent vide letter dated 25.03.2014 is the substantive response for the information asked by the applicant in the original application.
6. I have assessed the facts and circumstances of the case and come to the conclusion that the CPIO, the respondent has acted as per provisions of Act. The respondent is directed to send again a copy of his reply dated 25.3.2014 to the appellant within a week from the date of receipt of this order.
7. The appellant may kindly note that since the proceeding has been closed, no further hearing may be conducted in this matter. Moreover, if there is any grievance against the order of the Appellate Authority, he may file second appeal before the Hon'ble CIC sitting at 2<sup>nd</sup> Floor, August Kranti Bhawan, Bhikaji Cama Place, New Delhi 110066(within 90 days) i.e period as prescribed under the provision of RTI Act, 2005.

  
(DR. GITA RAWAT) 17-4-14

Joint Secretary & Appellate Authority  
Date: 17.04.2014

Copy to:

1. Shri Ramta Prasad, Near Mohan Cinema, Aara, Distt. Bhojpur, Bihar-802301
2. Smt. Asha Sota, CPIO/Under Secretary, Deptt. of Legal Affairs.

(DR. GITA RAWAT)  
Joint Secretary &  
First Appellate Authority  
Ministry of Law & Justice  
(Deptt. of Legal Affairs)  
Govt. of India, New Delhi

F. No.21(196)/2014-IC  
Government of India  
Ministry of Law & Justice  
Department of Legal Affairs  
IMPLEMENTATION CELL

RTI Matter

Shastri Bhawan, New Delhi.  
Dated 24.04.2014

To

Shri Ramta Prasad,  
Near Mohan Cinema,  
Aara District Bhojpur,  
Bihar - 802301

Subject : Appellate Authority's Order No. 21(196)/2014 dated  
17.04.2014 in the matter of Shri Ramta Prasad Vs CPIO


\*\*\*\*\*


Sir

In compliance with the Appellate Authority's Order dated  
17.04.2014, a copy of the letter no. 21(196)/2014 dated 25.03.2014 is  
enclosed herewith.

Encls: As above

Yours faithfully

  
(K. Ginkhan Thang) 25/4  
DS & Central Public Information Officer  
T.No.23384706

  
Issued  
29.4.2014

स्पीड पोस्ट से  
सूचना के अधिकार का मामला

फा0 सं0 21(196)/2014-आई0सी0

भारत सरकार  
विधि और न्याय मंत्रालय  
विधि कार्य विभाग  
कार्यान्वयन कक्ष

शास्त्री भवन, नई दिल्ली  
दिनांक 25-03-2014

सेवा में,

श्री रामता प्रसाद  
निकट मोहन सिनेमा  
आरा जिला भोजपुर  
बिहार 802301

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन सूचना उपलब्ध कराना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर आपके दिनांक 18.02.2014 के पत्र ( विभाग में दिनांक 27.02.2014 को प्राप्त हुआ ) के संबंध में संबंधित अनुभाग से प्राप्त जानकारी अनुलग्नक 'क' सलग्न है ।

2. डा0 गीता रावत, संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार, विधि कार्य विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय, कमरा सं0 408, 'ए' विंग, चौथा तल, शास्त्री भवन, नई दिल्ली -110001, दूरभाष सं0 23384777 प्रथम अपील प्राधिकारी हैं । प्रथम अपील दायर करने के लिए परिसीमा की अवधि 30 दिन है ।

६

भवदीय,

( के गिन खन थंग )  
उप-सचिव केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी  
दूरभाष 23384706

20  
Received  
25-3-2014  
सलग्न: यथोक्त



प्राप्तक

रामनाथ शर्मा,  
आयुर्वेत्ता  
मुख्यालय - गांधी नगर, आरणा  
नज्दुरी 3 कोहन सिवका  
जिला - गोण्डुली (विहार)  
पिन कोड - 802301

सेवा में,

प्रथम कौशल पदाधिकारी,  
विधि एवं न्याय मंत्रालय  
भारत सरकार,  
शास्त्री भवन, नई दिल्ली।

विषय: - सूचना के कार्यकार का विनियम, 2008  
के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रथम  
कौशल।

348  
04-04-14

Dr. Gupta 31/5/14

570  
31/5/14

उपरोक्त विषय के संदर्भ में मुझे एक  
सूचना के माध्यम से सूचना के कार्यकार का अनु, 2008  
के तहत आपकी तस्वीर के जन सूचना पदाधिकारी  
से आपने पत्राचार दिनांक 18.2.14 के द्वारा सूचना  
मांगी थी जो स्मॉड पोस्ट से दिनांक 18.2.14 को ही  
आप से प्राप्त किया गया था।  
2- सूचना के कार्यकार का विनियम, 2008 में  
सूचना के लिए निर्धारित की गई समभावना  
समाप्त हो जाने के बावजूद जन सूचना पदाधिकारी  
द्वारा केली ओ प्रवा की सूचना मुझे ही दी गई है।

आपसे निवेदन है कि सूचना के कार्यकार का विनियम  
2008 को धारा 18 के तहत इस विषय पर सुनवाई  
कार्य की इजा के तब जन सूचना पदाधिकारी को  
मुख्य सूचना प्रदाता को का आदेश देने की इजा को  
सूचना के कार्यकार का विनियम के प्रावधानों के  
अनुसार सूचना पदाधिकारी को भेरे द्वारा मांगी गई  
सूचना निःशुल्क उपलब्ध कराने का भी  
आदेश देने की इजा की जाए। साथ ही, सूचना  
के कार्यकार का विनियम के उल्लंघन के लिए जन  
सूचना पदाधिकारी पर कार्यकार का विनियम के प्रावधानों के  
अनुसार जुर्माना लगाने का भी आदेश देने की इजा  
की जाए।

विश्वास - भजन,  
[110]-570  
आयुर्वेत्ता 29.3.2014  
नगर, आरणा

अनुलग्नक -  
(1) आवेदन की छाया प्रतियां

सेवा में,

जनसूचना परामर्शकारि,

विधि एवं न्याय मंत्रालय,

शास्त्री भवन, नई दिल्ली।

विषय: सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के

अन्तर्गत सूचना उपलब्ध करने के संबंध में।

महाराज,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि

जिसा एवं सत्र न्यायाधीश, जोजपुर, आरा ने अपने

पत्रांक - 622, दिनांक - 17.04.2013 के द्वारा सीएस

से श्री रामना प्रसाद, अधिवक्ता, उभयकार न्यायालय, जोजपुर,

आरा का नोटी के पर पर निम्नित है। आवेदन, लाचक,

विधि एवं न्याय मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली की

सेवा में आवश्यक कार्रवाई अग्रसर करने की कृपा की

गी, पर इस आह की अधिध कीत जाने के बाद भी

इस संबंध में कार्यवाही संबंधी कोई सूचना अधिस्थापरी

की नहीं उपलब्ध की गई है। आवश्यक उनके आवेदन

पर (नोटी के पर पर निम्नित संबंधी आवेदन) क्या

कार्रवाई की गई है, के संबंध में अपेक्षित सूचना

आवश्यक है।

आतः कृपा अधिस्थापरी को सूचित करने

की कृपा की जाए, श्री रामना प्रसाद, अधिवक्ता,

उभयकार न्यायालय, जोजपुर, आरा के नोटी के पर पर

निम्नित के संबंध में क्या कार्रवाई की गई है, तथा

आगे कब तक निम्नित होने की अधिभावना है।

सूचना उपलब्ध करने के लिए

10 को मात्र का अधिगत पोस्टल आर्डर संलग्न किया जाता है।

विरवाभ्राजन,

(रामना प्रसाद)

आधिवक्ता,

बाबू बाजार, नेकर

महिन सिनेमा, आरा

जिसा - जोजपुर, बिहार।

पिन कोड - 802301

मो नं - 09835091134

दिनांक - 18.02.2014



SP ARA KITCHERY 802301  
EE273204871IN  
Counter No:1, CP-Code:KER India Post  
To: SH S P ADHIKARI, GASTRI BAHAN  
NEW DELHI, PIN:110001  
From: RAMNA PRASAD, ARA KITCHERY  
Wt: 20grams,  
Amt: 39.00, 18/02/2014, 13:50  
Taxes: Rs. 4.00xTrack on www.indiapost.gov